न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 21/2019 जिला दौसा ।

रामसिंह दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. काली पुत्री रामलाल जाति मीना निवासी ग्राम खेडाबागपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान।
2. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा दिनांक 29.04.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 01 श्री आलोक चौधरी।

निर्णय

दिनांक–06.07.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.04.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 03.06.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामसिंह बनाम काली में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकण संख्या 1165 दिनांक 05.08.2016 ग्राम इन्दावा ग्राम पंचायत इन्दावा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.02.2018 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 29.04.2019 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1165 में ग्राम पंचायत इन्दावा के निर्णय दिनांक 05.08.2016 कन्हैया लाल के बजाय काली देवी पत्नि कन्हैया लाल के नाम स्वीकृत नामान्तकरण को यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया।
4. न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा दिनांक 29.04.2019 को निरस्त कर अपीलांट् के हक में नामान्तकरण तस्दीक करने के लिये तहसीलदार को निर्देशित किये जाने के आदेश जारी किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम दन्दावा का मूल खातेदार कन्हैया पुत्र धन्ना के फोत होने पर ग्राम पंचायत इन्दावा ने दिनांक 30.7.2016 को काली देवी के नाम पर नामान्तकरण संख्या 1165 अंकित किया गया। उक्त नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी लालसोट के यहॉ करने पर अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार लालसोट के समक्ष अपीलांट ने अपने दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिसको तहसीलदार लालसोट ने केवल शामिल पत्रावली किया गया परन्तु उन पर साक्षय अधिनियम के अनुसार अपना विवेचन नही दिया। काली देवी मृतक धन्ना की पत्नि हो ऐसा कोई प्रमाण काली देवी ने पत्रावली पर पस्तुत नही किया न ही कभी काली देवी ग्राम इन्दावा में कन्हैयालाल के साथ रही। काली देवी की शादी मृतक कन्हैयालाल से कब हुई कहां हुई ऐसी किसी तिथि का अंकन भी काली देवी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

नही हैं। काली देवी की ओर से उसकी मन्दबुद्धि होने का फायदा उठाते हुये एक इन्दावा ग्राम का व्यक्ति यही सारी कार्यवाही कर रहा है। काली देवी कभी न्यायालय में नही आई। दिनांक 04.04.2019 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा तहसील लालसोट के समक्ष जिरह करने का एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे उसी दिन बिना बहस सुने खारीज कर दिया गया। रामसिंह मृतक कन्हैया लाल का सगा भान्जा है तथा कन्हैया लाल नाऔलाद फोत हुआ है। कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट को गोद ले लिया था। ग्राम पंचायत इन्दावा द्वारा जारी रामसिंह को कन्हैयालाल का पुत्र मानकर दी गई एनओसी इस बात का सबूत है कि रामसिंह मृतक कन्हैयालाल का पुत्र होकर एक मात्र वारिस/उत्तराधिकारी है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत आदेश तहसीलदार लालसोट जिला दौसा दिनांक 29.04.2019 निरस्त कर अपीलांट् के हक में नामान्तकरण तस्दीक करने के लिये तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किये जाने के आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 04.05.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

7. रेस्पांडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूवक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक कन्हैया पुत्र धन्ना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1165 दिनांक 05.08.2016 वाके ग्राम इन्दावा का है। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम इन्दावा तहसील लालसोट में स्थित भूमि जिसकी खातेदारी कन्हैया पुत्र धन्ना कौम मीना के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी रही है के खातेदार कन्हैया पुत्र धन्ना मीना की मृत्यु दिनांक 22.07.2016 को हो चुकी है। जिसकी विरासत का नामान्तकरण ग्राम पंचायत इन्दावा ने अविधिक रूप से रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम खोल दिया गया। रामसिंह मृतक कन्हैया लाल का सगा भान्जा है तथा कन्हैया लाल नाऔलाद फोत हुआ है। कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में ही अपीलांट को गोद ले लिया था। अपीलांट मृतक कन्हैया का एक मात्र वारिस है। अतः नामान्तकरण संख्या 1165 दिनांक 05.08.2016 वाके ग्राम इन्दावा को निरस्त फरमाने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 15.02.2018 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.02.2018 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 29.04.2019 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1165 में ग्राम पंचायत इन्दावा के निर्णय दिनांक 05.08.2016 कन्हैया लाल के बजाय काली देवी पत्नि कन्हैया लाला के नाम स्वीकार को यथावत रखने का निर्णय पारित किया गया।

9. अधीनस्थ न्यायालय तहसील लालसोट जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा तहसीलदार लालसोट को जरिये निर्णय दिनांक 15.02.2018 इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण संबंधित सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर विधिवत जांच कर नामान्तकरण पुनः तस्दीक करे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष उभयपक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है तथा

Scanned by CamScanner

लिखित बहस प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो का कोई न्यायपूर्ण विवेचन नही किया गया है तथा सरसरी तौर पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो को सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में निष्कर्ष में लिखा है कि "उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजो, ग्राम पंचायत के वारिसान सजरा प्रमाण पत्र व पटवार हल्का की वारिसान संबंधी रिपोर्ट अनुसार मृतक कन्हैयालाल की एकमात्र वारिसान पत्नि काली देवी होना प्रतीत होता है।" उक्त निष्कर्ष में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का न तो कोई विवेचन किया गया तथा न ही कोई निष्कर्ष विरचित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है जो न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यो एवं प्रस्तुत साक्ष्यो का न्यायिक विवेक द्वारा विश्लेषण कर न्यायोचित आदेश पारित किया जाना चाहिये था जो कि नही कर सारभूत विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः आपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारो को सुनकर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो का न्यायिक विवेचन कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.08.2021 को उपस्थित हो।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner